

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का भारतीय लोकतंत्र में योगदान

Kamlesh Dhaker

NET - History
Village benipuriya
post kaneratehsil Nimbahera
dist. Chittorgarh(Raj)312601

सार (Abstract):

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख शिल्पकार, महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री तथा संविधान निर्माता थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता एवं आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनके नेतृत्व ने लोकतंत्र को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया। उन्होंने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन जीने की पद्धति माना। प्रस्तुत शोध-पत्र में डॉ. आंबेडकर के भारतीय लोकतंत्र में योगदान का ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द (Keywords): डॉ. बी. आर. आंबेडकर, भारतीय लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, समानता, मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य।

1. प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली का स्वरूप नहीं, बल्कि संविधान द्वारा संरक्षित एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार उसका संविधान है, जो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इस संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे और उन्होंने भारतीय समाज की विविधताओं, जटिलताओं तथा ऐतिहासिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान तैयार किया जो लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवाधिकारों का सशक्त दस्तावेज बन सका।

भारतीय समाज सदियों से जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण तथा लैंगिक भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहा है। इन परिस्थितियों में डॉ. आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल चुनावों एवं सरकार के गठन तक सीमित

न मानकर उसे सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम माना। उनका स्पष्ट मत था कि जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और न्याय प्राप्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र अपनी वास्तविक भावना को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर विशेष बल दिया।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित कराया जिनके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सके। मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों, स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि के शासन (Rule of Law), समानता के अधिकार तथा अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे प्रावधान उनके दूरदर्शी चिंतन के परिणाम हैं। उन्होंने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा, जो समय के साथ बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो सकता है।

डॉ. आंबेडकर का यह भी मानना था कि लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान की श्रेष्ठता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन नागरिकों और शासकों पर भी निर्भर करती है जो संविधान का पालन करते हैं। उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण (25 नवम्बर 1949) में चेतावनी दी थी कि यदि भारतीय समाज ने संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक आचरण को नहीं अपनाया, तो राजनीतिक लोकतंत्र भी संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने "संवैधानिक नैतिकता" (Constitutional Morality) को लोकतंत्र की आत्मा माना।

वर्तमान समय में जब भारतीय लोकतंत्र सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, मानवाधिकारों की सुरक्षा, लैंगिक समानता तथा संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब डॉ. आंबेडकर के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके सिद्धांत न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायक हैं, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा भी प्रदान करते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समान सम्मान और अवसर के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर के भारतीय लोकतंत्र में योगदान का ऐतिहासिक, संवैधानिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। साथ ही यह अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के निर्माण में डॉ. आंबेडकर की भूमिका केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के सबसे बड़े प्रवक्ता के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

2. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का जीवन परिचय

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू सैन्य छावनी (वर्तमान डॉ. आंबेडकर नगर) में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे तथा माता भीमाबाई सकपाल धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थीं। वे महार समुदाय से संबंध रखते थे, जिसे उस समय भारतीय समाज में तथाकथित "अस्पृश्य" माना जाता था। बाल्यकाल से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव, जातिगत अपमान तथा शैक्षणिक संस्थानों में असमान व्यवहार

का सामना करना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व में संघर्षशीलता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन की तीव्र भावना का विकास किया।

प्रारम्भिक शिक्षा सतारा तथा मुंबई में प्राप्त करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बड़ौदा राज्य के शासक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. तथा पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से डी.एससी. (अर्थशास्त्र) तथा ग्रेज इन (Gray's Inn) से बैरिस्टर-एट-लॉ की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार वे अपने समय के सर्वाधिक शिक्षित भारतीय नेताओं में से एक बने। विदेश से लौटने के पश्चात डॉ. आंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, शिक्षा के प्रसार तथा दलित एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत' तथा 'जनता' जैसे समाचार-पत्रों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924) की स्थापना कर शिक्षा, संगठन और संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया। उनका प्रसिद्ध नारा—"शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो"—आज भी सामाजिक चेतना का प्रेरणास्रोत है।

डॉ. आंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह (1927), कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930) तथा गोलमेज सम्मेलनों (Round Table Conferences) में सक्रिय भाग लेकर दलित समाज के अधिकारों की प्रभावशाली वकालत की। उन्होंने पृथक निर्वाचिका (Separate Electorate) के प्रश्न पर दलितों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जो अंततः पूना पैक्ट (1932) के माध्यम से आरक्षित प्रतिनिधित्व के रूप में विकसित हुआ। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें भारत का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया। उनके नेतृत्व में निर्मित संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया तथा समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे आदर्शों को संवैधानिक आधार प्रदान किया।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह तथा तलाक संबंधी समान अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया। यद्यपि उस समय यह विधेयक पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका, किन्तु बाद के वर्षों में भारतीय विधि व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने का आधार बना। अपने जीवन के अंतिम चरण में डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक समानता और मानव गरिमा की स्थापना के उद्देश्य से 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका निधन 6 दिसम्बर 1956 को नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार ने उनके असाधारण योगदान के सम्मान में वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया।

आज डॉ. भीमराव आंबेडकर केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, लोकतंत्र, शिक्षा, आर्थिक समानता तथा आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण के महान विचारक के रूप में विश्वभर में सम्मानित हैं।

3. लोकतंत्र की अवधारणा पर डॉ. आंबेडकर के विचार

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन व्यवस्था या चुनावी प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक व्यापक सामाजिक दर्शन तथा मानवीय जीवन-पद्धति के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान, समान अवसर तथा न्यायपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। उनका स्पष्ट मत था कि यदि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ बनी रहें, तो राजनीतिक लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा।

डॉ. आंबेडकर ने कहा था—

"लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन जीने की ऐसी पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत व्यवहार में लागू होते हैं।"

यह विचार उनके लोकतंत्र संबंधी दर्शन का मूल आधार है। उन्होंने लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभों का उल्लेख किया—

- **स्वतंत्रता (Liberty):** प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा अवसरों की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
- **समानता (Equality):** कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हों तथा जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।
- **बंधुत्व (Fraternity):** समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग, सह-अस्तित्व और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होनी चाहिए।
- **सामाजिक न्याय (Social Justice):** लोकतंत्र का उद्देश्य केवल अधिकार देना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाना भी है।

डॉ. आंबेडकर ने बार-बार इस बात पर बल दिया कि भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बाधा है। उनके अनुसार जाति-आधारित विभाजन सामाजिक एकता, राष्ट्रीय समरसता तथा लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है। इसलिए उन्होंने सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से अधिक महत्वपूर्ण माना। उनका प्रसिद्ध कथन था कि "जाति का विनाश" (Annihilation of Caste) लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए अनिवार्य है।

उन्होंने लोकतंत्र को संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) से भी जोड़ा। उनका मानना था कि संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, यदि नागरिक और शासक संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि संविधान के बाहर जाकर असंवैधानिक उपायों का प्रयोग लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध

होगा। डॉ. आंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र को एक-दूसरे का पूरक माना। उनके अनुसार केवल मतदान का अधिकार लोकतंत्र की पूर्णता नहीं है; प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान और विकास के समान अवसर भी मिलने चाहिए। इसी कारण उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को विशेष महत्व दिया। 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में राजनीतिक समानता तो स्थापित हो जाएगी, किंतु यदि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ बनी रहें, तो लोकतंत्र गंभीर संकट का सामना करेगा। यह विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को समझने में अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है।

इस प्रकार डॉ. भीमराव आंबेडकर की लोकतंत्र संबंधी अवधारणा केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह मानव गरिमा, सामाजिक समरसता, समान अवसर, न्याय, उत्तरदायी शासन तथा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक समावेशी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की व्यापक दृष्टि प्रस्तुत करती है। उनके विचार आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक विकास की आधारशिला हैं और आज भी लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।

4. भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर का योगदान

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। उन्हें भारतीय संविधान का "मुख्य शिल्पकार" (Chief Architect of the Indian Constitution) कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान के निर्माण, उसके सिद्धांतों के निर्धारण तथा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को अंतिम स्वरूप देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। संविधान निर्माण का कार्य केवल कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था, बल्कि विविध भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों एवं सामाजिक संरचनाओं वाले देश के लिए एक ऐसी शासन व्यवस्था विकसित करना था, जो लोकतंत्र, न्याय, समानता तथा राष्ट्रीय एकता को स्थायी आधार प्रदान कर सके।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने सात सदस्यीय प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. आंबेडकर का चयन किया गया। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनकी उपयोगी विशेषताओं को भारतीय संविधान में समाहित किया। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने विभिन्न मतों एवं विचारों में समन्वय स्थापित करते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया, जो लोकतांत्रिक शासन, विधि के शासन तथा मानवाधिकारों की रक्षा का सशक्त आधार बन सका।

संविधान के निर्माण में डॉ. आंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का

अधिकार प्राप्त हो। इन अधिकारों ने भारतीय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित न रखकर नागरिक स्वतंत्रता एवं मानव गरिमा पर आधारित लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक तत्व, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, तथा वित्त आयोग जैसी संस्थाओं एवं प्रावधानों को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने संविधान को एक "जीवंत दस्तावेज" माना, जिसमें समयानुकूल संशोधन की व्यवस्था भी रखी गई ताकि लोकतंत्र बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को विकसित कर सके। संविधान सभा में 25 नवम्बर 1949 को अपने अंतिम भाषण में डॉ. आंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे संचालित करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो संविधान भी सफल नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत यदि संविधान का संचालन ईमानदार, उत्तरदायी एवं संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा किया जाएगा, तो वह लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। इस प्रकार उनका संविधान संबंधी दृष्टिकोण केवल विधिक व्यवस्था तक सीमित न होकर लोकतांत्रिक संस्कृति एवं संवैधानिक नैतिकता पर आधारित था।

(1) संविधान के मुख्य शिल्पकार

डॉ. आंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान अनेक जटिल संवैधानिक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का संतुलित विभाजन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण तथा सामाजिक न्याय को संवैधानिक आधार प्रदान किया। उनकी विधिक विशेषज्ञता, प्रशासनिक दृष्टि तथा व्यापक अध्ययन के कारण भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत एवं समावेशी संविधानों में सम्मिलित हुआ।

(2) मौलिक अधिकारों का संरक्षण

डॉ. आंबेडकर ने लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक स्वतंत्रता को अनिवार्य माना। इसी कारण संविधान के भाग-III में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया—

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की "आत्मा एवं हृदय" (Heart and Soul of the Constitution) कहा, क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

5. सामाजिक न्याय की स्थापना

डॉ. भीमराव आंबेडकर का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सामाजिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से समर्पित था। उन्होंने यह अनुभव किया था कि भारतीय समाज में जातिगत असमानता, अस्पृश्यता तथा सामाजिक बहिष्कार के कारण करोड़ों लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन, शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया है। इसलिए उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर तथा सामाजिक सम्मान प्राप्त हो।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय को केवल आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष संरक्षण, प्रतिनिधित्व तथा कल्याणकारी नीतियों का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि सदियों से वंचित समुदायों को समान स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव (Protective Discrimination) आवश्यक है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त कर उसे दंडनीय अपराध घोषित कराया। यह प्रावधान भारतीय समाज में सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया गया।

सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने निम्नलिखित विषयों पर विशेष बल दिया—

- अस्पृश्यता का उन्मूलन
- जातीय भेदभाव का अंत
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार
- आरक्षण व्यवस्था
- शिक्षा का सार्वभौमिक विस्तार
- रोजगार में समान अवसर
- सामाजिक सम्मान एवं मानव गरिमा की रक्षा

उनके अनुसार सामाजिक न्याय केवल कानून बनाने से संभव नहीं है, बल्कि समाज में समानता, बंधुत्व तथा मानवीय संवेदनाओं का विकास भी आवश्यक है।

6. समानता की स्थापना

डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक दर्शन का मूल आधार समानता (Equality) था। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर तथा कानून के समक्ष समान दर्जा प्राप्त हो। उन्होंने राजनीतिक समानता के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर भी विशेष बल दिया। भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत रूप से स्थापित किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि—

- सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे।
- राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान अथवा नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर उपलब्ध होंगे।
- अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा।
- उपाधियों (Titles) की व्यवस्था समाप्त की जाएगी।

डॉ. आंबेडकर का मत था कि समानता का अर्थ केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। इसी कारण उन्होंने समान अवसरों के साथ-साथ सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का समर्थन किया।

7. लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र

डॉ. आंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला माना। उनका प्रसिद्ध कथन है—

"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो।"

सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है—स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों को समाज के दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करना। यदि समाज में जातीय भेदभाव, आर्थिक विषमता एवं सामाजिक अन्याय विद्यमान रहेंगे, तो मतदान का अधिकार भी लोकतंत्र को सफल नहीं बना सकेगा। डॉ. आंबेडकर ने संविधान में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा को सम्मिलित करने का समर्थन किया। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) इसी विचारधारा का परिणाम हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना है।

8. महिलाओं के अधिकारों में योगदान

डॉ. भीमराव आंबेडकर भारतीय महिला अधिकार आंदोलन के अग्रणी विचारकों में से एक थे। उनका विश्वास था कि किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड उस समाज में महिलाओं की स्थिति होती है। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान करने का समर्थन किया।

स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में उन्होंने **हिन्दू कोड बिल** प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह एवं तलाक में समानता, उत्तराधिकार तथा गोद लेने संबंधी अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया। यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह विधेयक उसी रूप में पारित नहीं हो सका, किन्तु बाद में बने विभिन्न अधिनियमों का आधार यही विधेयक बना।

उन्होंने महिलाओं के लिए—

- समान कार्य के लिए समान वेतन
- संपत्ति का अधिकार
- विवाह एवं तलाक में समान अधिकार
- मातृत्व संरक्षण
- शिक्षा का अधिकार
- श्रमिक महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं कल्याण

जैसे अधिकारों का समर्थन किया। उनका मानना था कि महिला सशक्तिकरण के बिना लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो सकता।

9. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान में योगदान

डॉ. आंबेडकर ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक उत्थान को लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माना। उन्होंने सदियों से वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विशेष संवैधानिक प्रावधानों एवं नीतियों का समर्थन किया।

उन्होंने निम्नलिखित उपायों को विशेष महत्व दिया—

- शिक्षा में आरक्षण एवं छात्रवृत्तियाँ
- सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व
- विधानमंडलों में आरक्षित प्रतिनिधित्व
- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाएँ
- उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अवसर
- प्रशासनिक सेवाओं में सहभागिता

इन उपायों का उद्देश्य केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाना नहीं था, बल्कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं न्यायपूर्ण बनाना भी था।

10. संसदीय लोकतंत्र के समर्थक

डॉ. आंबेडकर ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से प्रभावित थे, किन्तु उन्होंने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया। उनका मानना था कि उत्तरदायी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा विधि का शासन लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों को लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला माना—

- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
- उत्तरदायी मंत्रिमंडलीय शासन
- विधि का शासन (Rule of Law)

- स्वतंत्र प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- संसदीय उत्तरदायित्व एवं विपक्ष की रचनात्मक भूमिका

11. संघीय व्यवस्था में योगदान

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का स्वरूप डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने एक ऐसे संघीय ढाँचे का निर्माण किया जिसमें राष्ट्रीय एकता एवं राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित किया गया। उन्होंने संविधान में—

- केंद्र एवं राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन
- संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों की व्यवस्था
- वित्तीय शक्तियों का संतुलित वितरण
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- वित्त आयोग एवं अंतर-सरकारी समन्वय
- राष्ट्रीय संकट की स्थिति हेतु आपातकालीन प्रावधान

जैसी व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया, जिससे भारत की संघीय व्यवस्था मजबूत एवं प्रभावी बनी।

12. आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा

डॉ. आंबेडकर केवल विधिवेत्ता ही नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी थे। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, भूमि असमानता तथा संसाधनों के असमान वितरण को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती माना। उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए—

- भूमि सुधार
- औद्योगीकरण
- श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा
- न्यूनतम मजदूरी
- सामाजिक सुरक्षा
- राज्य द्वारा कल्याणकारी आर्थिक नीतियाँ
- सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण

उनका विचार था कि आर्थिक समानता सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक स्थिरता का आधार है।

13. भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों पर आंबेडकर के विचार

डॉ. आंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित संभावित चुनौतियों के प्रति समय रहते चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि संविधान की सफलता केवल उसके प्रावधानों पर नहीं, बल्कि नागरिकों एवं शासकों के संवैधानिक आचरण पर निर्भर करती है। उन्होंने लोकतंत्र के समक्ष निम्न प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख किया—

- जातिवाद एवं सामाजिक विभाजन
- सामाजिक एवं आर्थिक असमानता
- अशिक्षा
- निर्धनता एवं बेरोजगारी
- व्यक्तिपूजा (Hero Worship)
- राजनीतिक भ्रष्टाचार
- असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग
- लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना

उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि स्वतंत्र भारत में संवैधानिक तरीकों को छोड़कर किसी भी प्रकार के असंवैधानिक आंदोलन लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होंगे।

14. वर्तमान संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

वर्तमान समय में जब भारतीय लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। सामाजिक न्याय, संवैधानिक नैतिकता, मानवाधिकार, समावेशी विकास तथा समान अवसर संबंधी उनके सिद्धांत आज भी लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला हैं। उनके विचार निम्न क्षेत्रों में विशेष रूप से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं—

- सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता
- संवैधानिक मूल्यों की रक्षा
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती
- मानवाधिकारों का संरक्षण
- महिला सशक्तिकरण
- सामाजिक न्याय एवं समावेशी शासन
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों का सशक्तिकरण
- समावेशी एवं सतत विकास

आज डिजिटल लोकतंत्र, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता जैसे विषयों में भी डॉ. आंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनके विचार भारतीय लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की दिशा में निरंतर प्रेरणा देते हैं।

15. निष्कर्ष

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख शिल्पकार एवं भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने संविधान के माध्यम से भारत को एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान की, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। उनके नेतृत्व में निर्मित संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए तथा सामाजिक न्याय, विधि का शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ आधार दिया। डॉ. आंबेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों, आर्थिक न्याय तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो।

आज के समय में भी उनके विचार भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। सामाजिक न्याय, संवैधानिक नैतिकता, मानवाधिकार, समावेशी विकास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनके सिद्धांत मार्गदर्शक हैं। इसलिए डॉ. आंबेडकर का योगदान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. आंबेडकर, भीमराव रामजी. *भारत का संविधान सभा में भाषण*. भारत सरकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 1949.
2. आंबेडकर, भीमराव रामजी. *Annihilation of Caste*. 1936.
3. आंबेडकर, भीमराव रामजी. *States and Minorities*. 1947.
4. आंबेडकर, भीमराव रामजी. *The Buddha and His Dhamma*. सिद्धार्थ प्रकाशन, 1957.
5. भारत का संविधान. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नवीनतम संस्करण.
6. बसु, डी. डी. *Introduction to the Constitution of India*. LexisNexis, 24th Edition, 2022.
7. Austin, Granville. *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford University Press, 1966.
8. Keer, Dhananjay. *Dr. Ambedkar: Life and Mission*. Popular Prakashan, 2019 (Reprint).
9. Rodrigues, Valerian. *The Essential Writings of B. R. Ambedkar*. Oxford University Press, 2002.
10. जाटव, डी. आर. डॉ. भीमराव आंबेडकर: व्यक्तित्व एवं कृतित्व. समता साहित्य सदन, जयपुर.
11. शर्मा, रामविलास. *भारतीय संविधान और लोकतंत्र*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
12. गौतम, सी. एल. डॉ. आंबेडकर और सामाजिक न्याय. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.

13. Moon, Vasant (Ed.). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches* (Vols. 1–17). Government of Maharashtra.
14. Zelliott, Eleanor. *From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement*. Manohar Publishers, 1992.
15. Omvedt, Gail. *Ambedkar: Towards an Enlightened India*. Penguin Books, 2004.